

U5-98  
04-01-2022

अत्यंत महत्वपूर्ण / विधानसभा  
विशेष पत्र वाहक / ई-मेल द्वारा

शहरी विकास विभाग  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार  
9वाँ तल, सी - विंग दिल्ली सचिवालय,  
आई. पी इस्टेट, नई दिल्ली-110002.

एफ.53(16)/अता./ ता प्र.सं.98/द्वि.सत्र का चतुर्थ भाग-2022/दिविस/श.वि./1324-26 दिनांक: 01-01-22

सेवा में,

उप सचिव (प्रश्न शाखा),  
दिल्ली विधानसभा सचिवालय,  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार,  
पुराना सचिवालय, दिल्ली -110054.

विषय:-दिल्ली सातवीं विधानसभा के द्वि.सत्र का चतुर्थ भाग तारांकित /अतारांकित प्र. स. 98 मान्नीय  
विधायक श्री. विजेन्द्र गुप्ता दिनांक 04.01.2022 को सदन की बैठक के सन्दर्भ में ।

महोदया / महोदय,

आपको उपरोक्त विषय में उद्धृत विधानसभा प्रश्न के उत्तर की 100 प्रतियाँ, मान्नीय मंत्री शहरी  
विकास विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा अनुमोदित अग्रित कार्यवाही हेतु इस पत्र के साथ भेजी जा रही हैं ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

भवदीय,

उप-सचिव ( संसदीय शाखा )

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मान्नीय मंत्री शहरी विकास (दिल्ली सरकार) 7वां तल 'ए' विंग, दिल्ली सचिवालय नई दिल्ली ।
2. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली को प्रश्न के उत्तर की 100 प्रतियाँ सहित ।

उप-सचिव ( संसदीय शाखा )

शहरी विकास विभाग  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र: दिल्ली सरकार  
9वां तल, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली


विधायक का नाम : श्री विजेन्द्र गुप्ता

दिनांक : 04.01.2022

विधानसभा अतारांकित प्रश्न संख्या : 98

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
क	यमुना पार विकास बोर्ड का गठन कब किया गया और इसकी पहली बैठक कब बुलायी गई तथा यमुना पार स्थित विधान सभाओं में विकास कार्य करवाने के लिए इसमें कुल कितने बजट का प्रावधान किया गया;	यमुना पार विकास बोर्ड का गठन मार्च, 1994 में किया गया था और पहली बैठक 21.04.1994 को बुलाई गई थी। चालू वित्तीय वर्ष 2021-2022 के दौरान यमुना पार विकास बोर्ड योजना के तहत रुपये 100 करोड़ आवंटित किए गये हैं।
ख	यदि अभी तक यमुना पार विकास बोर्ड का गठन नहीं किया गया है तो इसके क्या कारण हैं; और	ट्रांस यमुनाक्षेत्र विकास बोर्ड के पुनर्गठन का प्रस्ताव फाइल सीडी संख्या 021266832 दिनांक 12.04.2021 से विचाराधीन है।
ग	इसका गठन कब तक कर दिया जाएगा?	

  
Dy. Secretary (U.D./P.C.)  
Govt. of N.C.T. of Delhi  
Delhi Secretariat  
I.P. Estate, New Delhi-02